प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय हेतु आरक्षित दिनांक 22–2–2022

निर्णय पारित दिनांक 05–04–2022

WPL No. 121 of 2016

हनुमान सिंह पिता श्री भगवती यादव, आयु 51 वर्ष,

पूर्व संचालक सी. एच. पी., 5–4 विद्युत संयंत्र, P.N.B.S कार्मिक संख्या 896077

टोकन क्रमांक 11002, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रबंध निदेशक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
   भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ
2. डी. जी. एम. प्रभार, पी. पी. 1/पी. ई. एम., भिलाई इस्पात संयंत्र,
   भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---- उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता हेतु : कोई नहीं।

उत्तरवादीगण हेतुः श्री पी. आर. पाटनकर, अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र कुमार व्यास

सीएवी आदेश

1. याचिकाकर्ता द्वारा यह रिट याचिका (एल) उत्तरवादीगण प्राधिकरण के आदेश दिनांक 06.02.2016 (संलग्नक पी/1) के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा उततरवादी द्वारा सजा के अधिरोपण के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता ने श्रम न्यायालय के समक्ष एक प्रकरण प्रस्तुत किया है, जिसे प्रकरण क्रमांक 04/सी.जी.आई.आर. अधिनियम. (सी)/2007 के रूप में दर्ज किया गया था। अभिलेख से परिलक्षित तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता, जो भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, जिला दुर्ग में दिनांक 19–09–1987 से संचालक के रूप में काम कर रहा था, छुट्टी की मंजूरी के बिना दिनांक 08–01–2005 से 26–12–2005 (149 दिन) की अवधि के दौरान ड्यूटी पर अनुपस्थित रहा। याचिकाकर्ता द्वारा यह अभिवचन किया गया है कि याचिकाकर्ता के मोतियाबिन्द का ऑपरेशन हुआ था तथा उसके खाता में अवकाश संचित था, किन्तु उत्तरवादीगण द्वारा उसके अवकाश को समायोजित नहीं किया गया तथा याचिकाकर्ता को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित घोषित कर दिया गया। याचिकाकर्ता का जानबूझकर कर्तव्य पर रिपोर्ट नहीं करने आशय नहीं था, फिर भी उस पर आरोप पत्र दायर किया गया था। यह आगे तर्क दिया गया है कि उसने आवेदन दिया है तथा उत्तरवादी से स्वस्थ एवं अस्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है। उन्होंने चिकित्सा अवकाश के लिए एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है, वह खराब स्वास्थ्य के कारण ड्यूटी पर अनुपस्थित रहे, लेकिन उत्तरवादीगण प्राधिकरण ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से दिनांक 28–04–2006 को आरोप पत्र जारी किया है, जिसमें उनके प्रकरण का बचाव करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि पूछताछ अधिकारी ने उसे कम सजा देने का वादा किया है, इसलिए उसने अपना अपराध और दुराचार स्वीकार कर लिया है, इसके पश्चात भी उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए उसे पिछले वेतन से सेवा में फिर से स्थापित किया जावे।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. उत्तरवादीगण ने याचिका में लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए अपना लिखित जवाबदावा प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता का प्रदर्शन असंतोषजनक था तथा जांच में आरोप साबित हुए थे, इसलिए सजा के आदेश का पारित किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को उचित अवसर देने के बाद प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार विभागीय जांच की गई थी, इसलिए उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया। विद्वान श्रम न्यायालय ने अपने आदेश

दिनांक 04–12–2009 के माध्यम से जांच को दूषित कर दिया है, जिसके विरुद्ध उत्तरवादीगण प्रबंधन ने औद्योगिक न्यायालय के समक्ष विविध आवेदन प्रस्तुत किया है, जो कि 1/CGIR अधिनियम/111/2010 के रूप में पंजीकृत है, औद्योगिक न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 11–10–2010 के माध्यम से श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया है और यह माना है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनात्मक जांच उचित है। इसके पश्चात, विद्वान श्रम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20–1–2011 के माध्यम से कर्मकार द्वारा दायर आवेदन को यह निष्कर्ष दर्ज करके खारिज कर दिया कि सजा कदाचार के अनुपात में है।

4. यह आगे तर्क दिया गया है कि, उक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने औद्योगिक न्यायालय के समक्ष एक अपील को प्रस्तुत किया था तथा उसे भी खारिज कर दिया गया है, और उस आदेश के विरुद्ध उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष तत्काल रिट याचिका (एल) प्रस्तुत किया है, जो डब्ल्यू.पी.एल. No.3394/2011 के रूप में पंजीकृत किया गया था तथा इस न्यायालय की एकल पीठ ने अपने आदेश दिनांक 27–07–2015 के माध्यम से रिट याचिका को खारिज कर दिया है। उस आदेश विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट अपील को प्रस्तुत किया था, जिसे इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा रिट अपील क्रमाक 487/2015 में पारित अपने आदेश दिनांक 12–072012 के माध्यम से याचिकाकर्ता को सजा की मात्रा के संबंध में अभ्यावेदन करने की स्वतंत्रता के साथ अपील को खारिज कर दिया है। आदेश का सक्रिय भाग निम्नानुसार उद्धरित हैः

> "3. सजा की मात्रा मुख्य रूप से नियोक्ता का विशेषाधिकार है। यदि अपीलार्थी उसी के संबंध में प्रतिनिधित्व करता है, तो यह उत्तरवादीगण को इस अपील पर विचार करने की हमारी अनिच्छा से पूर्वाग्रहित हुए बिना अपनी संतुष्टि के लिए कानून के अनुसार विचार करने से नहीं रोकता है।"

5. इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादीगण अधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उसने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कहा है कि वह एक अनपढ़ व्यक्ति है और वह जांच की कार्यवाही से डरता था, इसलिए उसने स्वीकार किया है कि उसका अपराध तथा सेवा समाप्ति एक बड़ा दंड है, जो पूरे जीवन को नष्ट कर देगा तथा निवेदन किया गया कि उसके प्रकरण को सेवा की समाप्ति के बड़े दंड के बजाय सहानुभूतिपूर्वक माना जाकर कम सजा दी जावे।

6. चूंकि याचिकाकर्ता के प्रकरण का बचाव करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है, फिर भी इस न्यायालय ने प्रकरण के अभिलेख की जांच किया गया है।

7. दूसरी ओर, उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सजा कदाचार के अनुपात में है तथा उत्तरवादीगण द्वारा अपील को खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश न्यायसंगत और उचित है, सजा की मात्रा का निर्धारण विशुद्ध रूप से नियोक्ता का विशेषाधिकार है तथा यह न्यायालय सजा की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अपनी तर्क के समर्थन में, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण **बी.सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ,[1] 1, वी. रमन्ना बनाम ए.पी.एस.आर.टी.सी.,[2] ओम कुमार बनाम भारत संघ,[3] भारत संघ बनाम गयानुथन,[4] इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम अशोक कुमार अरोड़ा,[5] , भारत संघ बनाम पी. गुना शेखरन,[6] दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर निर्माण[7], काशीनाथ गुप्ता बनाम पूछताछ अधिकारी[8], चेन्नई महानगर जल बनाम टी. टी.**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 1995 (6) एस.सी.सी. 749

2 2005 (7) एस.सी.सी. 338

3 2001 (2) एस. सी. सी. 386

4 1997 (7) एस. सी. सी. 463

5 1997 (3) एस. सी. सी. 72

6 2014 एससीडब्ल्यू 6657

7 2000 (2) एससीडब्ल्यू 4812

8 2003 (9) एससीसी 480

मुरली बाबू,[9] **भारत संघ बनाम द्वारका प्रसाद तिवारी,**[10] **भारत संघ बनाम मानव कुमार गुहा,**[11] **कुलदीप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त,**[12] **कोयंबटूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक बनाम कोयंबटूर जिला केंद्रीय सहकारी संघ,**[13] **एस. बी. आई. बनाम समरेंद्र किशोर एंडो**[14] **तथा जी. बी. मझाजन बनाम जलगाँव नगर पालिका परिषद**[15] उल्लेख किया गया है तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका को खारिज किए जाने हेतु प्रार्थना किया गया है।

8. मैंने उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख का अध्ययन किया।

9. उत्तरवादी प्रबंधन द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–2–2016 (अनुलग्नक पी/1), जिसके द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया है, के अवलोकन से दर्शित है कि बिना कोई कारण बताए आदेश को निम्नानुसार पारित कर दिया है.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"प्रति,

श्री हनुमान सिंह,

का.सं.: 896077,

भूतपूर्व ऑपरेटर,

पी. एण्ड बी. एस.

पताः

वार्ड कमांक 03, खासरडीह,

---

9 2014 (4) एससीसी 108

10 2006 एससीडब्ल्यू 5185

11 2011 (11) एससीसी 535

12 एआईआर 1999 एससी 677

13 2007 (4) एससीसी 669

14 1994 (2) एससीसी 537

15 एआईआर 1991 एससी 1153

पोस्ट अहिरवारा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

विषयः दण्ड आदेश के विरूद्ध आपकी अपील बाबत।

संदर्भः आपकी अपील दिनांक 26/12/2015

अनुपस्थिति के कारण दिये गये दण्ड आदेश क्रमांक स्था/2006/पी.एन. बी.एस./239785/4862 दिनांक 14.08.2006 के विरूद्ध आपके द्वारा प्रस्तुत संदर्भित आवेदन के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि निष्काषन आदेश के विरूद्ध आपके अभ्यावेदन पर विचार किया गया, किन्तु निष्कासन आदेश का रद्द कर दण्ड कम करने की आपकी अपील को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

सूचनार्थ।

महाप्रबंधक (पावर फेसेलिटीज)

एवं अपील अधिकारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. आदेश के अवलोकन मात्र से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करते समय उत्तरवादीगण प्राधिकरण द्वारा कोई भी कारण नहीं दिया गया है जो विवेक के **अनुप्रयोग** को दर्शाता है तथा विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध है तथा यहां तक कि प्रशासनिक प्राधिकरण को भी एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करना चाहिए था जिसका सिविल परिणाम है। अधिक सटीक रूप से, प्रकरण के तथ्यों के लिए कि याचिकाकर्ता के अपील अधिकार को अस्वीकार करने का प्रतिकूल निर्णय लिया गया है, यहां तक कि कोई भी कारण नहीं दिया गया है जो उत्तरवादीगण प्राधिकरण की ओर से मनमानेपन को दर्शाता है और प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत के विरूद्ध है।

11. उच्चतम न्यायालय की माननीय 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा **एस. एन. मुखर्जी बनाम के मामले में भारत संघ,**[16] में प्रशासनिक विधि में प्राकृतिक न्याय के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है.

> "35. ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय के निर्णयों से संकेत मिलता है कि कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता के संबंध में इस

16 (1990) 4 एस. सी. सी. 594

न्यायालय का दृष्टिकोण अमेरिकी न्यायालयों के अनुरूप है।एक महत्वपूर्ण विचार जिसने यह अभिनिर्धारित करने के लिए न्यायालय के साथ वजन किया है कि एक प्रशासनिक प्राधिकरण अर्ध–न्यायिक का प्रयोग कर रहा है, जिस कारण उन्हे अपने कार्यों में अपने निर्णय के कारणों को दर्ज करना चाहिए, यह है कि ऐसा निर्णय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र के साथ–साथ संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालयों के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के अधीन है और कारण, यदि दर्ज किए गए हैं। ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय के निर्णयों से संकेत मिलता है कि कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता के संबंध में इस न्यायालय का दृष्टिकोण अमेरिकी न्यायालयों के अनुरूप है। एक महत्वपूर्ण विचार जिसने न्यायालय के साथ यह अभिनिर्धारित करने के लिए विचार किया है कि अर्ध–न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने वाले एक प्रशासनिक प्राधिकरण को अपने निर्णय के कारणों को दर्ज करना चाहिए, वह यह है कि ऐसा निर्णय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र के साथ–साथ संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालयों के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के अधीन है और यदि कारण दर्ज किए जाते हैं, तो यह न्यायालय या उच्च न्यायालयों को अपीलीय या पर्यवेक्षी शक्ति का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में सक्षम बनाएगा।लेकिन यह एकमात्र विचार नहीं है। इस दृष्टिकोण को अपनाने में न्यायालय के साथ जिन अन्य विचारों पर विचार किया गया है, वे यह हैं कि कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता (i) प्राधिकरण द्वारा विचार की गारंटी देगी; (ii) निर्णयों में स्पष्टता लाएगी; और (iii) निर्णय लेने में मनमानेपन की संभावनाओं को कम करेगी। इस संबंध में कानून के सामान्य न्यायालयों और न्यायाधिकरणों और न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने वाले प्राधिकरणों के बीच इस आधार पर अंतर किया गया है कि एक न्यायाधीश को नीति या समीचीनता के विचारों से निष्पक्ष रूप से अप्रभावित चीजों को देखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जबकि एक कार्यपालन अधिकारी आम तौर पर चीजों को नीति और समीचीनता के दृष्टिकोण से देखता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. कारण, जब एक प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा अर्ध–न्यायिक कार्यों का प्रयोग करते हुए उसके द्वारा पारित आदेश में दर्ज किए जाते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलीय या पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की सुविधा होगी।लेकिन ऊपर उल्लिखित अन्य विचार, जिन्होंने इस न्यायालय के साथ यह अभिनिर्धारित किया है कि एक प्रशासनिक प्राधिकरण को अपने निर्णय के कारणों को दर्ज करना चाहिए, कम महत्वपूर्ण नहीं हैं।इन विचारों से पता चलता है कि एक प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा कारणों का पुनर्निर्धारण एक हितकारी उद्देश्य को पूरा करता है, अर्थात्, यह मनमानेपन की संभावनाओं को बाहर करता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ हद तक निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। उक्त उद्देश्य सभी निर्णयों पर समान रूप से लागू होगा और इसके आवेदन को उन निर्णयों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है जो अपील, पुनरीक्षण या न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन हैं। इसलिए, हमारी राय में, कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता को अर्ध–न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णयों को नियंत्रित करना चाहिए, भले ही निर्णय अपील, पुनरीक्षण या न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन हो।हालाँकि, यह जोड़ा जा सकता है कि यह आवश्यक नहीं है कि कारण उतने विस्तृत हों जितना कि न्यायालय के निर्णय में।कारणों की सीमा और प्रकृति विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। जो आवश्यक है वह यह है कि कारण स्पष्ट और स्पष्ट हों ताकि यह संकेत दिया जा सके कि प्राधिकरण ने विवादग्रस्त बिंदुओं पर उचित विचार किया है। प्रकरण अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकरण, यदि वह इस तरह के आदेश का उल्लेख करता है, तो अलग–अलग कारण देने की आवश्यकता नहीं है यदि अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकरण चुनौती के तहत आदेश में निहित कारणों से सहमत है।

37. अर्ध–न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता के तर्क पर विचार करने के बाद अब हम इस दायित्व को लागू करने के लिए कानूनी आधार की जांच कर सकते हैं। इस पहलू

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पर विचार करते हुए डोनफ मोर समिति ने कहा कि यह अच्छी तरह से तर्क दिया जा सकता है कि प्राकृतिक न्याय का एक तीसरा सिद्धांत है, अर्थात्, एक पक्ष निर्णय का कारण जानने का हकदार है, चाहे वह न्यायिक हो या अर्ध–न्यायिक।समिति ने यह राय व्यक्त की कि "कुछ ऐसे मामले हैं जहां किसी निर्णय के लिए आधार देने से इनकार करना स्पष्ट रूप से अनुचित हो सकता है; और ऐसा तब भी हो सकता है जब निर्णय अमान्य हो और निराश पक्ष के लिए अपील के माध्यम से या अन्यथा कोई आगे की कार्यवाही नहीं हो" और "जहां आगे की कार्यवाही किसी निराश पक्ष के लिए खुली है, यह स्वाभाविक न्याय के विपरीत है कि मंत्री या मंत्रिस्तरीय अधिकरण की खामोशी उन्हें अवसर से वंचित कर दे।"(पी. 80) प्रो. एच.डब्ल्यू.आर. वेड ने इस विचार पर भी जोर दिया है कि "प्राकृतिक न्याय इसके लिए सबसे अच्छा नियम प्रदान कर सकता है, क्योंकि कारण देना आम आदमी की न्याय की भावना के लिए आवश्यक है।" (देखें: वेड, प्रशासनिक कानून, 6 वीं संस्करण पृष्ठ 548)। सीमेंस इंजीनियरिंग कंपनी प्रकरण (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय ने वही दृष्टिकोण अपनाया है जब उसने कहा कि "किसी आदेश के समर्थन में कारणों की आवश्यकता वाला नियम ऑडी अल्टरम पार्लेम के सिद्धांतों की तरह है, जो प्राकृतिक न्याय का एक बुनियादी सिद्धांत है जिसे प्रत्येक अर्ध–न्यायिक प्रक्रिया को सूचित करना चाहिए।" यह निर्णय इस आधार पर आगे बढ़ता है कि प्राकृतिक न्याय के दो प्रसिद्ध सिद्धांत, अर्थात् (i) कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए और (ii) कि किसी भी व्यक्ति को सुनवाई के बिना न्याय नहीं दिया जाना चाहिए, संपूर्ण नहीं हैं और इन दो सिद्धांतों के अलावा ऐसे नियम हो सकते हैं जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं और जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का हिस्सा माना जा सकता है।यह दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा ए. के. क्राईपक और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [1970] 1 एस. सी. आर. 457 में निर्धारित कानून के अनुरूप है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"हाल के वर्षों में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा में बहुत बदलाव आया है। अतीत में यह सोचा गया था कि इसमें केवल दो नियम शामिल थे अर्थात् (i) कोई भी अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होगा (नेमो डेबेट एसे जूडेक्स प्रोप्रिया कौसा) और (ii) किसी पक्ष के विरुद्ध कोई निर्णय उसकी युक्तियुक्त सुनवाई के बिना नहीं दिया जाएगा।इसके तुरंत बाद एक तीसरे नियम की परिकल्पना की गई और वह यह है कि अर्ध–न्यायिक जांच अच्छी भावना से की जानी चाहिए, बिना पक्षपात के और मनमाने ढंग से या अनुचित रूप से नहीं।लेकिन वर्षों के दौरान प्राकृतिक न्याय के नियमों में कई और सहायक नियम जोड़े गए। (पृष्ठ 468–69)।

38. इसी तरह की प्रवृत्ति अंग्रेजी न्यायालयों के निर्णयों में स्पष्ट है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्राकृतिक न्याय की मांग है कि निर्णय संभावित मूल्य के कुछ साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए।(देखिए: आर. वी.उप औद्योगिक चोट आयुक्त पूर्व पी. मूर, [1965] 1 क्यू. बी. 456; महोन बनाम एयर न्यूज़ीलैंड लिमिटेड, [1984] ए. सी. 648।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. प्राकृतिक न्याय के नियमों में अंतर्निहित उद्देश्य "न्याय की विफलता को रोकना" और "कार्रवाई में निष्पक्षता" को सुरक्षित करना है।जैसा कि पहले बताया गया है कि अर्ध–न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा अपने निर्णय के कारणों के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता मनमानेपन की संभावनाओं को छोड़कर और निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता की एक डिग्री सुनिश्चित करके इस उद्देश्य को प्राप्त करती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के बढ़ते क्षितिज को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि तर्क को दर्ज करने की आवश्यकता को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में से एक माना जा सकता है जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करता है। प्राकृतिक न्याय के नियम मूर्त नियम नहीं हैं। उनके आवेदन की सीमा विशेष वैधानिक ढांचे पर निर्भर करती है जहां प्रशासनिक प्राधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है। न्यायिक या अर्ध–न्यायिक कार्यों के प्रयोग सहित किसी प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा किसी विशेष शक्ति के प्रयोग

के संबंध में विधायिका, उक्त शक्ति प्रदान करते समय, यह महसूस कर सकती है कि यह व्यापक लोक हित में नहीं होगा कि प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के कारणों को आदेश में दर्ज किया जाए और पीड़ित पक्ष को सूचित किया जाए और वह ऐसी आवश्यकता को समाप्त कर सकती है। यह यू. एस. ए. के प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम, 1946 और ऑस्ट्रेलिया के प्रशासनिक निर्णय (न्यायिक समीक्षा) अधिनियम, 1977 में निहित उन लोगों के लिए एक स्पष्ट प्रावधान करके ऐसा कर सकता है, जिसके तहत कुछ निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। इस तरह का बहिष्कार विषय वस्तु की प्रकृति, योजना और अधिनियम के प्रावधानों से आवश्यक आलिप्तता से भी उत्पन्न हो सकता है। इस तरह के प्रावधान में अंतर्निहित सार्वजनिक हित कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता द्वारा पूरा किए गए हितकारी उद्देश्य से अधिक होगा। इसलिए, ऐसे प्रकरण में उक्त आवश्यकता पर जोर नहीं दिया जा सकता है।

40. उपरोक्त कारणों के लिए, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि उन मामलों को छोड़कर जहां आवश्यकता को स्पष्ट रूप से या आवश्यक आलिप्तता के साथ समाप्त कर दिया गया है, न्यायिक या अर्ध–न्यायिक कार्य का प्रयोग करने वाले एक प्रशासनिक प्राधिकरण को अपने निर्णय के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एन. मुखर्जी (पूर्वोक्त) के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के तथ्यों का अन्वेषण करें तो यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को खारिज करते हुए प्राधिकरण कोई कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। यह और कुछ नहीं बल्कि मनमानेपन तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, इसलिए, दिनांकित 6–2–2016 (अनुलग्नक पी/1) के आलोच्य आदेश को अपास्त किये जाने योग्य है तथा इसे एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

13. अब, याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को प्राधिकरण को वापस भेज दिया जाता है तथा प्राधिकरण एक उचित तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा।

14. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देश के साथ, रिट याचिका(एल) स्वीकार की जाती है।

सही/–
(नरेंद्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: Suvas)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।